भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2347
13 फरवरी, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ में पीईटी-सीटी स्कैन सुविधाएं

†2347. श्री मनीश तिवारीः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को मार्च, 2024 से पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ में पीईटी-सीटी स्कैन सुविधाओं की अनुपलब्धता की जानकारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) रेडियो नैदानिक सेवाओं में विलंब के कारण कितने कैंसर रोगी प्रभावित हुए हैं और प्रारंभिक चरण के उपचार परिणामों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है;
(ग) क्या पीजीआईएमईआर के चिकित्सक महत्वपूर्ण रसायनों की आपूर्ति की कमी के कारण उनकी खरीद के लिए निजी भत्ते का उपयोग कर रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) प्रमुख सरकारी अस्पतालों में रेडियो फार्मास्युटिकल्स की समय पर खरीद और न्यूक्लियर मेडिसिन विभागों का निर्बाध कार्यकरण सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और
(ङ) क्या ऐसे महत्वपूर्ण नैदानिक उपकरणों और सामग्रियों के लिए किसी दीर्घकालिक आपूर्ति शृंखला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ङ) स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (पीजीआईएमईआर), चंडीगढ़ में पीईटी-सीटी स्कैन की सुविधाएं उपलब्ध और कार्यशील हैं। मार्च, 2024 से अब तक संस्थान में 20,000 से अधिक रोगियों, जिनमें घातक और गैर-घातक दोनों प्रकार के मामले शामिल हैं, का पीईटी-सीटी स्कैन किया जा चुका है। पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ में 2009 से एक ऑनसाइट साइक्लोट्रॉन स्थापित है, जो पीईटी-सीटी इमेजिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले कई आवश्यक रेडियोफार्मास्यूटिकल्स उत्पन्न करता है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (एईआरबी) द्वारा कुछ रेडियोफार्मास्यूटिकल्स की खरीद लाइसेंस प्राप्त आपूर्तिकर्ताओं से सामान्य वित्तीय नियमावली (जीएफआर), 2017 और भारत सरकार द्वारा जारी वस्तुओं और सेवाओं की खरीद संबंधी मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार मांग के आधार पर की जाती है।

*****